भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 6302
दिनांक 02.04.2026 को उत्तर के लिए नियत

तमिलनाडु में खादी उत्पादन का विस्तार

6302. **श्री अ. मनिः**

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार तमिलनाडु सहित पूरे देश में ग्रामीण आजीविका, पारंपरिक कारीगरों और रोजगार सृजन को सहायता प्रदान करने के लिए खादी और ग्रामोद्योग आयोग के माध्यम से खादी क्षेत्र के विकास को बढ़ावा दे रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) विगत चार वर्षों के दौरान देशभर में कितने खादी संस्थानों को खादी प्रमाण-पत्र प्राप्त हुए हैं और इसी अवधि के दौरान तमिलनाडु में पंजीकृत ऐसे संस्थानों की संख्या कितनी है;

(ग) क्या सरकार ने तमिलनाडु के विभिन्न जिलों, विशेषकर ग्रामीण और आर्थिक रूप से कमजोर क्षेत्रों में खादी उत्पादन और कारीगर आधारित रोजगार के विस्तार की संभावना का आकलन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या धर्मापुरी जैसे जिलों में नए खादी संस्थानों की स्थापना के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं अथवा खादी और ग्रामोद्योग आयोग के पास विचाराधीन हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री
(सुश्री शोभा करांदलाजे)

(क): खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) खादी और ग्रामोद्योग विकास योजना (केजीवीवाई) के कार्यान्वयन द्वारा ग्रामीण आजीविका, पारंपरिक कारीगरों और रोजगार सृजन को सहायता करने हेतु तमिलनाडु राज्य सहित देश भर में खादी क्षेत्र का संवर्धन और विकास कर रहा है। इसमें खादी विकास योजना (केवीआई) और ग्रामोद्योग विकास योजना (जीवीवाई) शामिल हैं।

खादी और ग्रामोद्योग विकास योजना को खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) द्वारा राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड (केवीआईबी) और केवीआईसी/केवीआईबी के साथ पंजीकृत 2,985 खादी संस्थानों के सहयोग से क्रियान्वित किया जा रहा है। देश भर में खादी क्षेत्र में कुल 4,99,589 कारीगर संलग्न हैं।

तमिलनाडु राज्य में, खादी कार्यकलापों के क्रियान्वयन के लिए 79 खादी संस्थाएं (तमिलनाडु खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड सहित) पंजीकृत हैं। तमिलनाडु में खादी क्षेत्र में कुल 21,315 कारीगर संलग्न हैं।

(ख): वर्ष 2021-22 से 2024-25 की अवधि के दौरान, देश भर में खादी गतिविधियाँ संचालित के लिए 224 नए खादी संस्थानों को खादी प्रमाण-पत्र प्राप्त हुए हैं। पिछले चार वर्षों के दौरान, तमिलनाडु में 02 नए खादी संस्थानों को खादी प्रमाण-पत्र प्राप्त हुए।

(ग): खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने तमिलनाडु राज्य सहित पूरे देश में खादी और ग्रामोद्योग गतिविधियों की प्रभावशीलता का आकलन करने के लिए खादी और ग्रामोद्योग विकास योजना (KGVY) का तृतीय-पक्ष मूल्यांकन अध्ययन कराया है।

इस मूल्यांकन अध्ययन का निष्कर्ष है कि खादी विकास योजना (केवीवाई) और ग्रामोद्योग विकास योजना (जीवीवाई) दोनों ने तमिलनाडु राज्य सहित पूरे देश में रोजगार सृजन, कारीगर सशक्तिकरण और संस्थागत पुनर्जीवन में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

(घ): तमिलनाडु के धर्मपुरी जिले में खादी संस्थान की स्थापना के लिए केवीआईसी को कोई विशिष्ट प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।
